


**KEY PLAN**

**LEGEND**

	आवासीय अल्प घनत्व (100 से 200)	<b>RESIDENTIAL</b> LOW DENSITY (100-200PPH)
	आवासीय मध्यम घनत्व (200 से 300)	<b>RESIDENTIAL</b> MEDIUM DENSITY (200-300PPH)
	सरकारी भूमि	<b>GOVT LAND</b> CREMATION KABRISTAN GROUND
	तालाब / नदी, नाले	<b>POND / RIVER, STREAM</b>
	व्यापारिक एवं सामान्य व्यापारिक, होटल / रेस्टोरेंट, मकान एवं गोदाम, मिश्रित भू-उपयोग	<b>COMMERCIAL</b> RETAIL BUSINESS & GENERAL COMMERCIAL, HOTEL/PETROL PUMP/RESTAURANT, WAREHOUSING AND GODOWNS, MIXED LANDUSE
	सूक्ष्म एवं मध्यम	<b>INDUSTRIAL</b> SMALL AND MEDIUM
	राजकीय, सरकारी अर्द्ध-सरकारी एवं सैनिक भूमि, सरकारी आरक्षित क्षेत्र	<b>GOVERNMENTAL</b> GOVERNMENT SEMI-GOVERNMENT AND POLICE THANA, GOVT. RESERVED AREAS
	आर्मीड-प्रभेद, उद्यान, खेल स्थल एवं खेल का मैदान / स्टेडियम, सांस्कृतिक एवं अर्द्ध-सांस्कृतिक	<b>RECREATIONAL</b> PARKS, OPEN SPACES & PLAYGROUND/STADIUM, PUBLIC AND SEMI PUBLIC, COLLEGE/PROFESSIONAL COLLEGE
	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिकित्सालय / चिकित्सा सुविधाएं, पशु चिकित्सालय, सामाजिक, सांस्कृतिक / धार्मिक स्थल	<b>PUBLIC AND SEMI PUBLIC</b> COLLEGE/PROFESSIONAL COLLEGE, PRIMARY/UPPER PRIMARY SCHOOL, SECONDARY /SR. SEC. SCHOOL, HOSPITAL /MEDICAL FACILITY, VETERINARY HOSPITAL, SOCIAL, CULTURAL / RELIGIOUS PLACE
	अन्य सरकारी भूमि, विशेष उपयोग / विशेष उपयोग, अनुसंधान सुविधाएं / बैंक	<b>OTHERS</b> OTHER GOVT LAND SPECIAL USES, PUBLIC UTILITIES/BANK
	कृषि, वन्यजीव, कसौती, गौशाला, कृषि भूमि, वृक्षारोपण	<b>AGRICULTURAL</b> NURSERIES, ORCHARDS, GOSHALA, CULTIVATED LAND, PLANTATION
	परिवहन, बस स्टैंड, बंदी / ट्रेने स्टेशन, राज्य राजमार्ग	<b>CIRCULATION</b> BUS STAND, BROAD GAUGE / RAILWAY STATION, STATE HIGHWAY
	EXISTING ROAD, R.O.W., PROPOSED ROAD	<b>OTHERS</b> HIGH TENSION ELECTRIC, GREEN BUFFER, HIGHWAY CORRIDOR ZONE (HCZ)
	जोन सीमा, ग्राम सीमा, वार्ड सीमा, नगर पालिका सीमा, पंचायत की स्वीकृत योजना	<b>BOUNDARIES</b> ZONE BOUNDARY, VILLAGE BOUNDARY, WARD BOUNDARY, MUNICIPAL BOUNDARY, U.I.T. APPROVED SCHEME

**नोट -**

- जोनल विकास योजनाओं में पूर्व स्वीकृतियों (कॉम्प्लैटमेंट्स) को अंकित करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई कॉम्प्लैटमेंट्स सार्वजनिक अक्षित होने से रह गए हैं तो उन्हें समायोजित मानते हुये अंशकृत कार्यवाही की जायेगी।
- जोनल विकास योजना में वन भूमि, तालाब, झील, नदी, नाले व अन्य जलाशयों को दर्शाया गया है, जो कि सिंचाई विभाग / राजस्व विभाग / स्वामि से जारी अधिसूचनाओं अनुसार ही मान्य रहेंगे।
- जोनल विकास योजना के क्षेत्र में आ रही एच.टी. लाईन व रेलवे लाईन से नियमानुसार दूरी छुड़वाते हुये ही भविष्य में योजनाओं की क्रियान्विती की जायेगी।
- माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं राज्य सरकार के आदेशों को भी दृष्टिगत रखते हुये प्रकरणों में भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।
- मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को पत्रांक टीपीआर.8283 / सेक्टर प्लान (सेक्टर 1) / 2021 / 4803-15 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार 18 मीटर व 18 से अधिक चौड़ाई के मुख्य मार्गों के दोनों ओर निश्चित भू-उपयोग एकल भूखण्ड की गहराई अथवा सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना गहराई जो भी कम हो अनुज्ञेय होगी। किसी भी स्थिति अनुसार जोनल प्लान में दर्शाया गया है।
- उक्त जोनल प्लान न्याय बेंच दिनांक 29.09.2021 में अनुमोदन किया जाकर इसकी अधिसूचना राजपत्र क्रमांक-12811-12/21 दिनांक 17.11.2021 को प्रकाशन कराया गया है।
- इस जोनल डेवलपमेंट प्लान में लिफ्टिंग व ड्राइविंग कारणों अथवा अन्य कारणों से हुई त्रुटियां राजस्थान नगर विकास न्याय जोनल डेवलपमेंट प्लान विनम 2021 के उपनिबन्ध 5 अन्वयेण संशोधनीय होंगी।



ZONAL DEVELOPMENT PLAN ZONE (C) APPROVED AS PER TRUST DECISION DATED 29/09/2021

DEPUTY TOWN PLANNER ALWAR ZONE, ALWAR  
 DEPUTY TOWN PLANNER UIT, ALWAR  
 SECRETARY UIT, ALWAR

**ZONAL DEVELOPMENT PLAN OF ZONE (C) LANDUSE PLAN**

U.I.T. ALWAR

JRD/M  
JEN (SITE)  
JEN (PLANNING)

ATP  
DTP  
SECRETARY UIT ALWAR

**URBAN IMPROVEMENT TRUST ALWAR**